an>

title: Need to provide better pay to the Grameen Police Staff.

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज):** उपाध्यक्ष जी, भारत में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 से लागू है, जो देश की आज़ादी से पहले का है। इस एक्ट के अंतर्गत गांवों के थाने हैं, मैं किसी एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, कहीं महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल है तो उत्तर प्रदेश में चौकीदार है। अगर गांव में कोई घटना होती है तो ये लोग थाने में जाकर सूचना देते हैं कि कहां हत्या हुई है या डकैती पड़ी है। आज भी ये मात्र 1500 रुपया प्रति माह पाते हैं, जबकि मनरेगा के मजदूर को 3500 रुपया प्रति माह मिलता है। थाने का जो चौकीदार है, जो रात को दो बजे उठकर कहीं कोई वारदात होती है, तो वह थाने में उसकी सूचना देने के लिए 20 किलोमीटर तक नदी पार करके जाता है। उसके बावजूद भी उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल को 500 रुपए प्रति माह मिलते हैं और किसी राज्य में 1000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मैं मांग करता हूं कि इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे आज बढ़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौती को सुचारू रूप से राज्य सरकारें निपट सकें।

HON. DEPUTY SPEAKER: Dr. Satya Pal Singh is allowed to associate with the matter raised by Shri Jagdambika Pal.